प्रेस नोट जनपद बदायूं दिनांक 29-10-2024

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के दोषी अभियुक्त को मा0 न्या0 द्वारा आजीवन कारावास की सजा व 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

थाना दातागंज पर मु0अ0सं0 244/2017 धारा 302 भादवि बनाम रघुबीर पुत्र बलवीर निवासी ग्राम बिछरईया थाना भमौरा जनपद बरेली की विवेचना विवेचक प्रभारी निरीक्षक श्री ललित मोहन द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 मोनू बालियान थाना दातागंज द्वारा मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 29-10-2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बदायूँ द्वारा अभियुक्त रघुबीर उपरोक्त को धारा 302 भा0द0सं0 के आरोप के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं अंकन 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 मोनू बालियान थाना दातागंज तथा लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार गुप्ता (ए0डी0जी0सी0) विवेचक प्रभारी निरीक्षक श्री ललित मोहन का योगदान सराहनीय रहा।

मीडिया सेल

जनपद बदायूं।